मु0न0ः– 09 / 2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

रजू दिनांकः– 22.07.2024

मु0न0 09 / 2024

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

किशनलाल पुत्र मोहरपाल जाति मीना निवासी जैसनी तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम।
2. जगराम पुत्र मोहरपाल जाति मीना निवासी जैसनी तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

प्रतिवादीगण

दावा बावत इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितिः– श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट वादी

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय

दिनांकः– 30.08.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झुनकी की आराजी ख0न0 475 / 0.47, 476 / 0.47, 479 / 0.45, 480 / 0.50, 485 / 0.98, 488 / 0.01, 489 / 1.01 कुल किता 7 कुल रकवा 3.89 है0 मे वादी 1 / 12 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है। वर्णित आराजी भोला वेवा मोहरपाल हिस्सा 1 / 12 तथा रामकिशन पुत्र मोहरपाल तथा जगराम पुत्र मोहरपाल हिस्सा 1 / 12 दर्ज है। भोला वेबा मोहरपाल की मृत्यु हो चुकी है। उसके कायममुकाम कानूनी वारिस उसके पुत्र वादी किशनलाल व प्रतिवादी न0 2 जगराम है। उक्त दोनो के अलावा अन्य कोई वारिस नही है। इसलिये भोला पत्नि मोहरपाल के हिस्से की भूमि मे विरासत के आधार पर वादी व प्रतिवादी न0 2 हिस्सा बराबर की खातेदारी अपने नाम करवाने के अधिकारी है।

यह है कि वादी का सही नाम किशनलाल पुत्र मोहरपाल है तथा जैसनी मे भी वादी की खातेदारी की भूमि खाता न0 17 है। जिसमे किशनलाल ही दर्ज है। तथा वादी के परिवार राशनकार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड आदि मे किशनलाल नाम ही दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे रामकिशन के स्थान पर किशनलाल दर्ज होना है। दौराने सेटलमेन्ट ने ग्राम झुनकी की भूमि मे किशनलाल के स्थान पर रामकिशन दर्ज कर दिया है। जिसका दुरूस्त होना आवश्यक है। वादी का राजस्व रिकार्ड मे जमाबन्दी मे गलत नाम दर्ज होने के कारण सरकारी लाभ प्राप्त नही हो रहे है।

बाका दिनांक 12.7.2024 को वादी ने तहसीलदार टोडाभीम से नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया कि आप हमारा नाम दुरूस्त कर दो, इस पर उन्होने कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बावत इस्तकरारहक डिक्री किया जाकर वादी की माता भोला पत्नि स्व0 मोहरपाल के नाम दर्ज हिस्सा 1 / 12 मे वादी को हिस्सा 1 / 24 व प्रतिवादी न0 2 को हिस्सा 1 / 24 का खातेदार घोषित किया जावे। तथा झुनकी की आराजी ख0न0 475 / 0.47, 476 / 0.47, 479 / 0.45, 480 / 0.50, 485 / 0.98, 488 / 0.01, 489 / 1.01 कुल किता 7 कुल रकवा 3.89 है0 मे दर्ज रामकिशन पुत्र मोहरपाल के स्थान पर किशनलाल पुत्र मोहरपाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को दिये जावे।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने जवाब पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे ग्राम झुन्की के खाता न0 78 कुल किता 3.89 है0 मे वादी 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी के दस्तावेज आधार कार्ड मे किशन पुत्र नोहरपाल जाति मीना निवासी जैत्तनी का अंकन है। जो सही है। ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र जिसमे रामकिशन पुत्र नोहरपाल एवं किशनलाल पुत्र नोहरपाल नाम के एक ही व्यक्ति है। ग्राम जैत्तनी की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 मे वादी का नाम किशनलाल पुत्र नोहरपाल जाति मीना सा0देह दर्ज है। एवं खाता न0 54, 61, 62 मे वादी का नाम किशनलाल पुत्र नोहरपाल दर्ज रिकार्ड है। रामकिशन पुत्र नोहरपाल तथा किशनलाल पुत्र नोहरपाल एक ही व्यक्ति है रामकिशन पुत्र नोहरपाल नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। वादी का नाम सेटलमेन्ट मे किशनलाल के बजाय सहवन से रामकिशन दर्ज हो गया है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहराव करते हुये कथन किया कि ग्राम झुन्की की आराजी ख0न0 475/0.47, 476/0.47, 479/0.45, 480/0.50, 485/0.98, 488/0.01, 489/1.01 कुल किता 7 कुल रकबा 3.89 है0 मे वादी 1/12 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है। वर्णित आराजी भोला बेटा नोहरपाल हिस्सा 1/12 तथा रामकिशन पुत्र नोहरपाल तथा जगराम पुत्र नोहरपाल हिस्सा 1/12 दर्ज है। भोला बेटा नोहरपाल की मृत्यु हो चुकी है। उसके कायमनुकाम कानूनी वारिस उसके पुत्र वादी किशनलाल व प्रतिवादी न0 2 जगराम है। उक्त दोनो के अलावा अन्य कोई वारिस नही है। इसलिये भोला पति नोहरपाल के हिस्से की भूमि मे विरासत के आधार पर वादी व प्रतिवादी न0 2 हिस्सा बराबर की खातेदारी अपने नाम करवाने के अधिकारी है।

यह है कि वादी का सही नाम किशनलाल पुत्र नोहरपाल है तथा जैत्तनी मे भी वादी की खातेदारी की भूमि खाता न0 17 है। जिसमे किशनलाल ही दर्ज है। तथा वादी के परिवार राशनकार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड आदि मे किशनलाल नाम ही दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे रामकिशन के स्थान पर किशनलाल दर्ज होना है। दौराने सेटलमेन्ट मे ग्राम झुन्की की भूमि मे किशनलाल के स्थान पर रामकिशन दर्ज कर दिया है। जिसका दुरूस्त होना आवश्यक है। वादी का राजस्व रिकार्ड मे जमाबन्दी मे गलत नाम दर्ज होने के कारण सरकारी लाभ प्राप्त नही हो रहे है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरारहक डिक्री किया जाकर वादी की नाता भोला पति स्व0 नोहरपाल के नाम दर्ज हिस्सा 1/12 मे वादी को हिस्सा 1/24 व प्रतिवादी न0 2 को हिस्सा 1/24 का खातेदार घोषित किया जावे। तथा झुन्की की आराजी ख0न0 475/0.47, 476/0.47, 479/0.45, 480/0.50, 485/0.98, 488/0.01, 489/1.01 कुल किता 7 कुल रकबा 3.89 है0 मे दर्ज रामकिशन पुत्र नोहरपाल के स्थान पर किशनलाल पुत्र नोहरपाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को दिये जावे।

पैरोकार सरकार ने जवाब/रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यो का दोहराव करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे ग्राम झुन्की के खाता न0 78 कुल किता 3.89 है0 मे वादी 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी के दस्तावेज आधार कार्ड मे किशन पुत्र नोहरपाल जाति मीना निवासी जैत्तनी का अंकन है। जो सही है। ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र जिसमे रामकिशन पुत्र नोहरपाल एवं किशनलाल पुत्र नोहरपाल नाम के एक ही व्यक्ति है। ग्राम जैत्तनी की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 मे वादी का नाम किशनलाल पुत्र नोहरपाल जाति मीना सा0देह दर्ज है। एवं खाता न0 54, 61, 62 मे वादी का नाम किशनलाल पुत्र नोहरपाल दर्ज रिकार्ड है। रामकिशन पुत्र नोहरपाल तथा किशनलाल पुत्र नोहरपाल एक ही व्यक्ति है रामकिशन पुत्र नोहरपाल नाम का

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

अन्य कोई व्यक्ति नही है। वादी का नाम विरासत मे किशनलाल के वजाय सहवन से रामकिशन दर्ज हो गया है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम झुनकी की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 78 मे कुल किता 7 कुल रकवा 3.89 है0 मे वादी रामकिशन पुत्र मोहरपाल हिस्सा 1/12 दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी न0 2 जगराम पुत्र मोहरपाल हिस्सा 1/12 के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से मे अन्य सहखातेदारान दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल न्यायालय हाजा द्वारा मु0न0 111/2017 उनवान किशनलाल बनाम जगराम मे पारित निर्णय दिनांक 17.04.2018 से ग्राम झुनकी की आराजीयात मे रामकिशन पुत्र मोहरपाल के स्थान पर किशनलाल पुत्र मोहरपाल दर्ज करने के आदेश जारी किये गये है। वादी के आधार कार्ड न0 7739 7896 0129, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, ग्रम जैसनी की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता न0 18 मे कुल किता 5 कुल रकवा 1.02 है0 मे किशनलाल पुत्र मोहरपाल हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार टोडाभीम ने भी वादी का नाम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। वादी ने खातेदार भोला पत्नि स्व0 मोहरपाल की मृत्यु होने पर विरासत मे वादी व प्रतिवादी न0 2 को खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है, जो स्वीकार योग्य नही है। अतः वादी का दावा आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते है, कि ग्राम झुनकी की आराजी ख0न0 475/0.47, 476/0.47, 479/0.45, 480/0.50, 485/0.98, 488/0.01, 489/1.01 कुल किता 7 कुल रकवा 3.89 है0 मे रामकिशन पुत्र मोहरपाल के स्थान पर किशनलाल पुत्र मोहरपाल दर्ज किया जावे। वादी किशन लाल पुत्र मोहरपाल का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी